फर्द अहकाम

न्यायालय — उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

बनाम — सीताराम आदि

मुकदमा संख्या/वर्ष : 74 / 2021

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	6/9/22	पत्रावली पेश हुई आपत्तियां सुन [illegible] का दस्तियार करने [illegible] पत्रावली पुनानुसार दिनांक 13/9/22 पेश हो।
	13/9/22	पत्रावली पेश हुई वकील अपर पक्ष उप०, वकील अपर पक्षों की बहस सुनी गई बाते आदेश दिनांक 20/9/22 को पेश हो।
	20/9/22	पत्रावली बाते आदेश पेश हुई, वकील अपर पक्ष उप०, पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में अंकित राशि के संबंध में न्यायालय द्वारा एक बार अधिनियम धारा 88 R.T. Act का क्रियाशील है अतः धारा 88 का बाद क्रियाशील होने से अपीलार्थी के [illegible] अधिनियम 128 RT Act के अनुसार स्थायित्व किया जाता है। पत्रावली फौजदारी प्रकृति होकर [illegible] होने के बाद प्रति दाखिल करने है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़